

For information in PESB the fee has to be made in favour of “Pay & Accounts Officer, Department of Personnel & Training, Government of India, New Delhi”.

सूचना के अधिकार के तहत शुल्क का भुगतान “वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली” के पक्ष में करना है।